>

Title: Regarding mandatory Marker Test on sellers of petroleum products.

श्री संतोष गंगवार (बरेली): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान पैट्रोलियम कंपनियों में व्याप्त एक बहुत महत्वपूर्ण घोटाले की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। ...(व्यवधान) पैट्रोल पंपों में एडल्ट्रेशन रोकने के लिए सरकार द्वारा 1.10.2006 को एक नया मार्कर टैस्ट लगाया गया। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो माननीय सदस्य बीच में बोल रहे हैं, उनका नाम हमें दीजिए। हम उनको नहीं बुलाएँगे। इसमें एडल्ट्रेशन रोकने की बात कही गई थी।

श्री संतोष गंगवार : इसमें यूके बेस्ड लिमिटेड कंपनी के हिन्दुस्तान के एजेन्ट मैसर्स एसजीएस लिमिटेड को यह काम दिया गया था और सिंगल बिड पर एक साल के लिए सौ करोड़ रुपया इस कंपनी को दिया गया था। दुख की बात यह है कि इसका कार्यकाल 1.10.2007 से 31.3.2008 तक बिना किसी और जांच के छः महीने के लिए सिंगल बिड के आधार पर बढ़ा दिया गया और फिर 30.9.2008 तक छः महीने के लिए बढ़ा दिया गया। अब तीन महीने के लिए बिना किसी जांच-पड़ताल के 31.12.2008 तक बढ़ाया गया है। सरकार अब तक 200 करोड़ से अधिक रुपया इस पर खर्च कर चुकी है और इसका जो रिज़ल्ट है, वह 0.07 परसैंट है। इस संदर्भ में जब कहा गया कि यह ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिससे सही जानकारी आए तो सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। मेरी जानकारी में आया है कि एक पैट्रोलियम कंपनी के एक अधिकारी ने जब इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया तो पैट्रोलियम मंत्रालय ने उस अधिकारी को जिसका नाम अशोक सिंह है, सस्पैन्ड कर दिया। उसके बाद एक एक्टिविस्ट ने मुम्बई हाई कोर्ट में एक अपील की। अपील के तहत इस बात को सही माना गया। अपील में पैट्रोलियम सचिव को यह निर्देश दिया गया कि इसकी जांच करें और शीघ्र जांच करके अगर वास्तव में ज़रूरी है तो सीबीआई से इसकी जांच की जाए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह एक गंभीर घोटाला है जहां पैट्रोलियम कंपनियों द्वारा पैसे का निरंतर दुरुपयोग हो रहा है। इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई द्वारा हो तो वास्तव में जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और सही तथ्य सामने आएंगे कि वास्तव में घटना क्या है।